



उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।
(Email id-dccourt.grd@gmail.com)
अधिहरण वाद सं0—08/2022
राज्य—बनाम—अशोक कुमार महतो एवं अन्य

०५/०६/२४

अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह के पत्रांक—4121/अप0शा0 दिनांक 07.09.2022 के आलोक में मुफक्सिल थाना कांड सं0—124/22, दिनांक 16.05.2022, धारा—379/411/414/420/34 भा0द0वि0, 21/22 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 एवं 3 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में अनुसंधानकर्ता द्वारा जप्त ड्रैक्टर 1. ड्रैक्टर पंजीयन सं0—JH10CB-0417 2. ड्रैक्टर पंजीयन सं0—JH11AB-9939 एवं ट्रॉली के विरुद्ध राज्यसात की कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त के आलोक में अधिहरण वाद सं0 08/2022 राज्य—बनाम—अशोक कुमार महतो एवं अन्य (मुफक्सिल थाना कांड सं0 124/22 में जप्त वाहन) का संधारण कर सुनवाई प्रारंभ की गई। अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में संधारित अधिहरण वाद सं0 09/2022 में पारित आदेश के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(Cr) No. 1212 of 2023 सीता राम महतो एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 की कंडिका—6 जो निम्नवत् है:—

“In view of law declared by the co-ordinate Bench of this Court, the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate is not a competent authority to pass the order of confiscation. Accordingly, the order dated 03.11.2023 passed by the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate, Giridih in Confiscation Case No. 09 of 2022 is, hereby, quashed and set aside and the matter is remitted back to the learned court below who has taken cognizance, to pass an appropriate order in accordance with law.”

उक्त न्यायादेश के आलोक में इस (अधिहरण वाद सं0 08/2022 राज्य—बनाम—अशोक कुमार महतो एवं अन्य) वाद को Drop(समाप्त) किया जाता है।

५१-

उभय पक्षों को आदेश से अवगत कराया जाय।

लेखापित एवं संशोधित,

१५०७/२५

उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

१५०७/२५

उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

ज्ञापांक.....५५।...../न्या० दिनांक.....7/6/2024

प्रतिलिपि:—पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को उनके पत्रांक—4121 / अप०शा० दिनांक
07.09.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१५०७/२५

उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।